न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या — 16 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी शिवपुरा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित

दिनांक – 03/02/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव शिवपुरा पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, जिसका विवरण इस प्रकार है–

सम्पति ''ए'' वर्तमान खाता नंबर – 474 पुराना खाता नंबर – 463 खसरा नंबर 412, 413, 415 कुल खसरा 03 कुल रकबा 6.1100 हैक्टर जिसमें प्रार्थी का 1/12 हक हिस्सा तथा प्रार्थी का नाम कन्यालाल पुत्र गंगाराम इन्द्राज सुदा है। इसी प्रकार सम्पति ''बी'' वर्तमान खाता नंबर – 473 पुराना खाता नंबर – 465 खसरा नंबर 1417, 1418, 1419 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.1000 हैक्टर जिसमें प्रार्थी का 1/8 हक हिस्सा तथा प्रार्थी का नाम कनाराम पुत्र गंगाराम इन्द्राज सुदा है। इसी प्रकार सम्पति ''सी'' वर्तमान खाता नंबर – 475 पुराना खाता नंबर – 464 खसरा नंबर 1409 से 1415, 346, 354 46, 51 कुल खसरा 11 कुल रकबा 12.7700 है0 जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा तथा प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम इन्द्राज सुदा है। इसी प्रकार सम्पति ''डी'' वर्तमान खाता नंबर – 26 पुराना खाता नंबर – 30 खसरा नंबर 1035 से 1040, 1047, 1577, 1598, 1599, 1600, 1604 से 1610 कुल खसरा 18 कुल रकबा 13.5300 है0 जिसमें प्रार्थी का 1/24+1/12 हक हिस्सा तथा प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम एवं कनाराम पुत्र गंगला इन्द्राज सुदा है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक, पुश्तैनी कृषि भूमि है, जो प्रार्थी को अपने पिता गंगाराम से बतौर विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता गंगाराम का फौतेदगी नामान्तरण भरते समय राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा पेन ऑफ स्लिफ से सहवन से प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल के स्थान पर कनाराम, कन्यालाल अंकित कर दिया गया जो कि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

सद्भाविक रूप से सहवन से दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन पत्र, आधार कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र श्री गंगाराम अंकित है, जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी हैं। राजस्थान राज पत्र साधारण के 23/01/2025 के अंक 43, पेज संख्या 16692 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत शपथ पत्र प्रकाशित किया जा चुका है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ए, बी, सी, डी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम कनाराम, कन्यालाल पुत्र गंगला के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा शिवपुरा में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 05 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 06, 07 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कनाराम, कन्यालाल पुत्र गंगला के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड इत्यादि का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 23/01/2025 के अंक 43, पेज संख्या 16692 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र, सरहद मौजा शिवपुरा जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के नया खाता सं0 26 के काश्तकार सं0 03 से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम कनाराम, कन्यालाल नहीं होकर कन्हैयालाल होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज नाम कनाराम, कन्यालाल के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कन्हैयालाल दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

:: आदेश ::

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ए. बी. सी. डी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम कनाराम, कन्यालाल पुत्र गंगला के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)